निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 15/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2026/79

ओंकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शम्भूदयाल सैन पुत्र श्री कल्याण सेन पता – चारभुजा मन्दिर रास्ता, भैरूजी की गली, सारसोप, चौथ का बरवाडा जिला स0मा0 322703
पता 2– पट्टा नं. 91, ग्राम पंचायत सारसोप, पं. सं. चौथ का बरवाडा जिला स0मा0
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री शम्भूदयाल सैन पता – चारभुजा मन्दिर रास्ता, भैरूजी की गली, सारसोप, चौथ का बरवाडा जिला स0मा0 322703
पता 2– पट्टा नं. 91, ग्राम पंचायत सारसोप पं. सं. चौथ का बरवाडा जिला स0मा0

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.02.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री शम्भूदयाल सैन पुत्र श्री कल्याण सैन पता – चारभुजा मन्दिर रास्ता, भैरूजी की गली, सारसोप, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं. 91, बहक सुनिता देवी पत्नी शम्भूदयाल सेन निवासी सारसोप, ग्राम पंचायत सारसोप, पं. सं. चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली, पश्चिम में श्री टीकम प्रकाश, प्रेम प्रकाश शर्मा, उत्तर में सरकारी जमीन व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 156.66 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 4,14,477/–(चार लाख चौदह हजार चार सौ सत्ततर रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.08.2025 (प्रेषण दिनांक 23.08.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 12.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी ऋणी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बहस के दौरान ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 01.08.2025 (प्रेषण दिनांक 23.08.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 12.09.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थी को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 12 जून 2026 (एक माह) तक का समय दिया जाता हैं। यदि अप्रार्थी द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 91, बहक सुनिता देवी पत्नी शम्भूदयाल सेन निवासी सारसोप, ग्राम पंचायत सारसोप, पं. सं. चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली, पश्चिम में श्री टीकम प्रकाश, प्रेम प्रकाश शर्मा, उत्तर में सरकारी जमीन व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 156.66 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner